

तारीख हुक्म

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज
श्रीमती सरजूदेवी बनाम मैसर्स नार्विक निर्माण एण्ड फाईनेन्स प्रा.लि.
जीसीएमएस नम्बर 2021 / 32


नम्बर व तारीख
अहकाम जो इस
हुक्म की तामील में
जारी हुए

30.11.21

पत्रावली वास्ते निर्णय पेश हुई। अधिवक्ता अपीलान्ट ने प्रार्थना पत्र बाबत अपील विद्धो करने के तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया है कि प्रकरण में पक्षकारों के मध्य आपसी रजामन्दी से राजीनामा हो गया इसलिये प्रार्थीगण अपील को आगे नहीं चलाना चाहते हैं और अपील को इसी स्तर पर विद्धो किया जाकर खारिज करवाना चाहते हैं। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर अपील को वापस लिये जाने की इजाजत प्रदान किये जाने की कृपा करें।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा अधिवक्ता अपीलान्ट की बहस पर मनन किया गया जिससे जाहिर होता है कि प्रार्थीगण स्वयं ही अपनी अपील को आगे नहीं चलाना चाहते हैं तो ऐसी स्थिति में अपीलार्थी की अपील को अब आगे चलाये रखे जाने का कोई औचित्य प्रतीत नहीं होता है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपीलार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अपील विद्धो करने स्वीकार किया जाता है तथा प्रार्थीगण द्वारा अपील विद्धो किये जाने से अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है। पत्रावली फ़ैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो तथा बाद तकमील पत्रावली जाप्ता दाखिल दफ्तर हो। आदेश सुनाया गया।


(दिनेश कुमार यादव)
संभाषिका आयुक्त,
जयपुर